न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या डिकी 187 सन 2017

पंजीयन दिनांक 22.8.2017

गोपाल पिता भंवरलाल धाकड निवासी–कनेरा तहसील निम्बाहेडा ।

अपीलांट

विरूद्व

1.चंदरू पिता रतनलाल पत्नी शंकरसलाल गुर्जर नि.अजोता ।

2.काना उर्फ नाना पिता नाथु गुर्जर नि.श्रीनगर तहसील निम्बाहेडा जिला–चित्तौडगढ ।

3.राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

प्रकरण संख्या 325/2013 निर्णय दिनांक 26.5.2015

उपस्थित–श्री अनुराग ओझा –अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधिवक्ता रेस्पो–3

निर्णय दिनांक 20.9.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53–188–209 के अन्तर्गत मोजा श्रीनगर पटवार हल्का निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 11 की आराजी नम्बर 46 रकबा 4.2100 हैक्टेयर के सबंधमें प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 26.5.2015 को अन्तिम डिकी पारित की गयी जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश हुई है जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा–5 कानून म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ग्रहण की जाती है ।

इस न्यायालय में अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटीस जारी किये गये जो इस न्यायालय को पुनः तामील होकर प्राप्त हुये जो रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित होने से उक्त पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाकर अधिवक्ता अपीलांट की बहस हेतु नियत की गयी अधिवक्ता अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर पत्रावली में गुणावगुण पर बहस की जिनको गुणावगुण पर सुनाजाकर पत्रावली गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत की गयी ।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात में वादी ने विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.10.2014 को प्राथमिक निर्णय एवं डिकी पारित की है व प्राथमिक निर्णय एवं डिकी की पालना में कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपीलांट को बिना सूचना दिये पटवारी हल्का द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गयी है जिससे उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार विचारण न्यायालय ने अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.5.2015 को पारित की है जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.5.2015 निरस्त फरमायी जावें ।अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी की अनुपस्थिति मे उक्त प्रकरण को दिनांक 26.5.2015 को लोक अदालत कैम्प मे नियत किया

जाकर कैम्प निम्बोदा में नियत किया जाकर बिना किसी राजीनामें के अन्तिम निर्णय वडिकी पारित की जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.5.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने वक्त बहस अधीनस्थ न्यायालय की अन्तिम निर्णय एवं डिकी विधि अनुरूप होने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैन उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि कि अपीलांट के विरूद्व बिना समुचित तामील के एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय एवं डिकी पारित की है व उसके पश्चात विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना में कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा तलब किया गया जिसमें कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया व अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार जो बंटवाडा नियम 18 से 21 के प्रावधानो के विपरीत था उसी फर्द बंटवाडे के आधार पर राजस्व लोक अदालत कैम्प निम्बोदा में नियत किया जाकर दिनांक 26.5.2015 को बिना किसी राजीनामें के अन्तिम निर्णय व डिकी पारित की है जो न्यायोचित प्रतित नहीं होती है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.5.2015 निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.5.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2021 को खूले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ